भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-153

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत वितरण कंपनियों को हुआ घाटा

***153. श्री बी. के. हरिप्रसादः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क्या विद्युत वितरण कंपनियों को भारी घाटा हो रहा है, यदि हां, तो घाटे का ब्यौरा क्या है और अन्य वितरण और विद्युत उत्पादन कंपनियों के पृथक-पृथक संचित घाटे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"विद्युत वितरण कंपनियों को हुआ घाटा" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

यूटिलिटियों की उपलब्ध लेखा परीक्षित/प्रमाणित वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर प्राक्कलन के अनुसार वर्ष 2017-18 तक वितरण और राज्य स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन यूटिलिटियों का लाभ/(हानि) क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दी गई है।

****

अनुबंध-I

"विद्युत वितरण कंपनियों को हुआ घाटा" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

****

2017-18 के लिए राज्य-वार वितरण यूटिलिटियों के लिए कर पश्चात लाभ/(हानि)			
प्रचालन	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**2017-18 (करोड़ रु. में)**
डिस्कॉम	**आंध्र प्रदेश**	एपीईपीडीसीएल	3
		एपीएसपीडीसीएल	(4)
	आंध्र प्रदेश कुल		(2)
	असम	एपीडीसीएल	164
	असम कुल		164
	बिहार	एनबीपीडीसीएल	(740)
		एसबीपीडीसीएल	(2,331)
	बिहार कुल		(3,071)
	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	(279)
	छत्तीसगढ़ कुल		(279)
	दिल्ली	बीआरपीएल	145
		बीवाईपीएल	40
		टीपीडीडीएल	306
	दिल्ली कुल		491
	गुजरात	डीजीवीसीएल	94
		एमजीवीसीएल	93
		पीजीवीसीएल	137
		यूजीवीसीएल	101
	गुजरात कुल		426
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	134
		यूएचबीवीएनएल	278
	हरियाणा कुल		412
	झारखंड	जेबीवीएनएल	(212)
	झारखंड कुल		(212)
	कर्नाटक	बेसकॉम	85
		चेसकॉम	2
		गेसकॉम	(473)
		हेसकॉम	(140)
		मेसकॉम	31
	कर्नाटक कुल		(495)
	मध्य प्रदेश	एमपीएमएकेवीवीसीएल	(2,717)
		एमपीपीएकेवीवीसीएल	(157)
		एमपीपीओकेवीवीसीएल	(2,190)
	मध्य प्रदेश कुल		(5,064)
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	492
	महाराष्ट्र कुल		492
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	(287)
	मेघालय कुल		(287)
	ओडिशा	सेसू	(503)
		नेसको यूटिलिटी	(81)
		साउथको यूटिलिटी	(187)
		वेसको यूटिलिटी	(22)
	ओडिशा कुल		(792)

	राजस्थान	एवीवीएनएल	1,199
		जेडीवीवीएनएल	30
		जेवीवीएनएल	943
	राजस्थान कुल		2,173
	तेलंगाना	टीएसएनपीडीसीएल	(1,561)
		टीएसएसपीडीसीएल	(3,925)
	तेलंगाना		(5,485)
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएनएल	(2,366)
		केसको	64
		एमवीवीएनएल	(432)
		पीएवीवीएनएल	(1,517)
		पीयूवीवीएनएल	(833)
	उत्तर प्रदेश कुल		(5,083)
	उत्तराखंड	यूपीसीएल	(229)
	उत्तराखंड कुल		(229)
डिस्कॉम कुल			(16,841)
जेडको/एकीकृत यूटिलिटियां	**हिमाचल प्रदेश**	एचपीएसईबीएल	6
	हिमाचल प्रदेश कुल		6
	केरल	केएसईबीएल	(784)
	केरल कुल		(784)
	मणिपुर	एमएसपीडीसीएल	(5)
	मणिपुर कुल		(5)
	पंजाब	पीएसपीसीएल	(907)
	पंजाब कुल		(907)
	तमिलनाडु	टेनजेडको	(7,761)
	तमिलनाडु कुल		(7,761)
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	64
	त्रिपुरा कुल		64
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	(40)
	पश्चिम बंगाल कुल		(40)
जेडको/एकीकृत यूटिलिटियां कुल			(9,427)
विद्युत विभाग	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल पीडी	(197)
	अरुणाचल प्रदेश कुल		(197)
	गोवा	गोवा पीडी	26
	गोवा कुल		26
	जम्मू व कश्मीर	जेकेपीडीडी	(2,999)
	जम्मू व कश्मीर कुल		(2,999)
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	87
	मिजोरम कुल		87
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	(62)
	नागालैंड कुल		(62)
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	(134)
	पुडुचेरी कुल		(134)
	सिक्किम	सिक्किम	(29)
	सिक्किम		(29)
विद्युत विभाग कुल			(3,308)

*** कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े हानियां दर्शाते हैं।**

****

अनुबंध-II

"विद्युत वितरण कंपनियों को हुआ घाटा" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 153 के उत्तर में दिए गए विवरण में उल्लिखित अनुबंध।

****

2017-18 के लिए राज्य-वार, राज्य स्वामित्व वाली उत्पादन यूटिलिटियों के लिए कर पश्चात लाभ/(हानि)			
प्रचालन	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**2017-18 (करोड़ रु. में)**
उत्पादन	**आंध्र प्रदेश**	एपजैंको	364
	असम	एपीजीसीएल	20
	बिहार	बीएसपीजीसीएल	(5,032)
	छत्तीसगढ़	सीएसपीजीसीएल	1,105
	दिल्ली	आईपीजीसीएल	29
		पीपीसीएल	211
	गुजरात	जीएसईसीएल	229
	हरियाणा	एचपीजीसीएल	431
	जम्मू और कश्मीर	जेकेएसपीडीसी	237
	झारखंड	जेयूयूएनएल	(2)
	कर्नाटक	केपीसीएल	64
	मध्य प्रदेश	एमपीपीजीसीएल	33
	महाराष्ट्र	एमएसपीजीसीएल	723
	मेघालय	एमईपीजीसीएल	(164)
	ओडिशा	ओएचपीसी	99
		ओपीजीसीएल	5
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीसीएल	9
	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	607
	तेलंगाना	टीएसजैंको	365
	उत्तर प्रदेश	यूपीजेवीएनएल	(26)
		यूपीआरवीयूएनएल	129
	उत्तराखंड	यूजेवीएनएल	64
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	104
उत्पादन कुल			**(395)**

*** कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े हानियां दर्शाते हैं।**

टिप्पणी: उत्पादन कार्यकलाप कर रहे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/सांविधिक निकायों में से केवल दामोदर वैली कारपोरेशन (डीवीसी) ने ही वर्ष 2017-18 में 847.33 करोड़ रुपये और वर्ष 2018-19 में 1115.08 करोड़ रुपये की हानियां सूचित की हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-165

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

एन टी पी सी संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति

***165. श्री राम विचार नेतामः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) एन टी पी सी संयंत्रों में कितनी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है और विगत तीन वर्षों के दौरान कोयले की संयंत्र-वार कितनी आपूर्ति की गई है;

(ख) क्या कोयले की कम आपूर्ति होने के कारण एन टी पी सी के संयंत्रों में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ में, विद्युत उत्पादन में कमी आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"एन टी पी सी संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 165 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : अपेक्षित ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) और (ग) : विगत तीन वर्षों के लिए छत्तीसगढ़ में स्थित एनटीपीसी के कोरबा और सिपत कोयला संयंत्रों का कुल विद्युत उत्पादन नीचे दिया गया है:-

सकल उत्पादन (एमयू)			
	2016-17	**2017-18**	**2018-19**
एनटीपीसी कोयला स्टेशन	237964	252356	262475
कोरबा	20365	20478	20083
सिपत	23779	23010	23907

छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी के सिपत और कोरबा संयंत्र मैरी गो राउंड (एमजीआर) सिस्टम के जरिए कोयले की आपूर्ति के लिए क्रमश: साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) दीपका तथा गेवरा खदानों से संबद्ध हैं। 29 सितंबर, 2019 को एसईसीएल दीपका की बाढ़ के कारण सितंबर, 2019 और अक्तूबर, 2019 के दौरान एनटीपीसी सिपत का विद्युत उत्पादन प्रभावित हुआ। इसी अवधि में, भारी वर्षा के कारण, एनटीपीसी कोरबा संयंत्र में भी कोयला आपूर्ति और उत्पादन आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे।

तथापि, कोयले की कमी की स्थिति में सुधार करने के लिए एनटीपीसी ने रेल-कम-रोड (आरसीआर) मोड के जरिए वैकल्पिक स्रोतों जैसे नादर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), एनटीपीसी कैप्टिव खान पाकरी बरवाडीह तथा एसईसीएल गेवरा से कोयले की व्यवस्था की। वर्तमान में, दोनों स्टेशन अपनी पूर्ण क्षमता से चल रहे हैं।

सरकार ने कोयले के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है।

****

अनुबंध

"एन टी पी सी संयंत्रों को कोयले की कम आपूर्ति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

****

एनटीपीसी स्टेशनों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयला आवश्यकता और आपूर्ति:

क्रम सं.	**स्टेशन**	**85% पीएलएएफ पर 18-19 में वार्षिक कोयला आवश्यकता (एमएमटी)**	**कोयला प्राप्ति (एमएमटी)**		
			2016-17	**2017-18**	**2018-19**
1	सिंगरौली	10.11	10.75	10.03	9.07
2	रिहंद	14.80	14.69	14.36	13.36
3	ऊंचाहार	7.89	4.48	4.75	4.75
4	टांडा	2.11	2.01	1.82	2.08
5	दादरी	8.96	5.32	6.16	7.48
6	कोरबा	12.39	12.98	12.93	13.79
7	विंध्याचल	23.15	22.20	25.02	24.24
8	सिपत	13.55	13.90	13.92	14.54
9	फरक्का	10.52	8.96	8.46	9.77
10	कहलगांव	13.39	12.43	12.40	13.15
11	तालचर - कनीहा	17.88	18.13	18.44	17.06
12	तालचर - थर्मल	2.85	3.19	3.07	2.99
13	बाढ़	6.41	5.19	5.85	6.36
14	रामागुंडम	12.21	12.44	12.02	11.82
15	सिम्हाद्री	10.93	9.00	8.42	9.17
16	बोंगाईगांव	2.96	0.90	0.89	1.76
17	मौदा	12.25	2.58	5.57	8.29
18	सोलापुर	3.31	-	0.94	1.57
19	कुडगी	10.61	-	2.36	3.97
	कुल	**196.29**	**159.15**	**167.42**	**175.2**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1736

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली कटौती संबंधी समिति

1736. श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमारः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिजली कटौती देश भर में आम बात हो गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और इससे देश की अर्थव्यवस्था किस हद तक प्रभावित होती है;

(ख) बिजली कटौती की खामियों का विश्लेषण करने हेतु क्या कोई विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिजली कटौती को कम करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : विद्युत यूटिलिटियों द्वारा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) को मासिक आधार पर दी गई रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में 12 जुलाई, 2019 को एक (1) घण्टे के लिए 272 मेगावाट की विद्युत कटौती और महाराष्ट्र में 4 जून, 2019 को एक (1) घण्टे के लिए 49 मेगावाट की विद्युत कटौती के अलावा अप्रैल, 2019 से अक्तूबर, 2019 की अवधि के लिए किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा उद्योगों के लिए अधिसूचित विद्युत कटौती की सूचना नहीं दी गई है। इसके अलावा वर्ष 2019-20 के दौरान (अक्तूबर, 2019 तक) देश में विद्युत की मांग एवं विद्युत आपूर्ति के बीच 0.5% का मामूली अंतर रहा है जो विद्युत आपूर्ति की पर्याप्तता दर्शाता है।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्यों में सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति करना संबंधित राज्य सरकारों/राज्य वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) की जिम्मेदारी है।

भारत सरकार अपनी योजनाओं अर्थात् दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य के माध्यम से राज्यों की उनकी वितरण प्रणालियों को सुदृढ़ करने में सहायता कर रही है। इन स्कीमों के अंतर्गत राज्यों को पर्याप्त अवसंरचना और निधियां स्वीकृत की गई हैं।

पिछले तीन (3) वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई और आईपीडीएस के अंतर्गत स्वीकृत निधियों का विवरण क्रमशः **अनुबंध-I** और **अनुबंध-II** में दिया गया है। पिछले दो (2) वर्षों में सौभाग्य के अंतर्गत स्वीकृत निधियों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1736 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के अंतर्गत राज्य-वार संवितरित निधियां

(करोड़ रु. में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (31.05.2019 तक)	कुल
1	आंध्र प्रदेश	128	165	175	3	471
2	अरुणाचल प्रदेश	101	81	160		342
3	असम	598	401	1088	24	2110
4	बिहार	1292	763	2412	117	4584
5	छत्तीसगढ़	126	552	79	21	777
6	गुजरात	110	143	181		435
7	हरियाणा		45	22		67
8	हिमाचल प्रदेश			15		15
9	जम्मू और कश्मीर		65	542	21	629
10	झारखंड	327	862	1362	10	2561
11	कर्नाटक	145	204	451	50	850
12	केरल	134	87	57		278
13	मध्य प्रदेश	421	600	952	5	1977
14	महाराष्ट्र	257	143	481.67	5.34	887
15	मणिपुर	36	33	41	0	111
16	मेघालय	26	58	155	118	355
17	मिजोरम	14	42	35		91
18	नागालैंड	21	24	55		100
19	ओडिशा	1079	366	1360	36	2841
20	पंजाब		15	42		57
21	राजस्थान	347	782	1246	17	2391
22	सिक्किम		18	21		39
23	तमिलनाडु	110	2	244		356
24	तेलंगाना	27	60	61		148
25	त्रिपुरा	78	62	112		251
26	उत्तर प्रदेश	2262	3149	3560	3	8974
27	उत्तराखंड	16	33	270		319
28	पश्चिम बंगाल	273	241	1281		1795
29	गोवा			3.27		3
30	दादरा व नागर हवेली			1		1
31	पुडुचेरी	1		0		1
32	अंडमान निकोबार		1			1
	कुल जोड़	**7930**	**8997.40**	**16464**	**429**	**33820**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1736 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2014-15 से आईपीडीएस के अंतर्गत वर्ष-वार और राज्य-वार संवितरित निधियां

(करोड़ रु. में)

राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
अंडमान और निकोबार	-	-	11	-	-	11
आंध्र प्रदेश	260	133	12	82	78.65	566
अरुणाचल प्रदेश	-	128	-	-	7.16	136
असम	-	498	-	63	70.92	631
बिहार	148	1,123	-	41	591.14	1,903
छत्तीसगढ़	-	296	40	32	27.35	395
दिल्ली	-	-	119	-	-	119
गोवा	-	-	-	19	31.19	51
गुजरात	226	453	13	112	-	803
हरियाणा	-	48	187	23	38.69	296
हिमाचल प्रदेश	-	95	-	33	33.93	162
जम्मू और कश्मीर	-	380	-	18	45.83	444
झारखंड	-	-	443	33	0.01	475
कर्नाटक	-	689	-	103	119.62	912
केरल	-	-	375	65	3.19	443
महाराष्ट्र	-	1,392	63	82	64.15	1,601
मणिपुर	-	111	-	3	19.45	133
मेघालय	-	53	-	-	38.97	92
मिजोरम	-	42	-	3	49.45	95
मध्य प्रदेश	44	864	-	81	95.75	1,085
नागालैंड	-	-	38	-	79.77	117
ओडिशा	-	314	338	86	7.45	745
पुडुचेरी	-	13	-	-	0.00	13
पंजाब	-	196	-	68	15.43	280
राजस्थान	-	788	-	116	62.20	966
सिक्किम	-	-	-	13	123.97	137
तमिलनाडु	-	945	-	81	90.03	1,116
तेलंगाना	-	393	14	49	6.04	463
त्रिपुरा	-	63	-	27	98.38	188
उत्तर प्रदेश	643	2,200	-	361	64.04	3,267
उत्तराखंड	-	163	10	34	409.35	617
पश्चिम बंगाल	647	957	166	19	52.71	1,841
कुल जोड़	**1968**	**12336**	**1830**	**1645**	**2325**	**20,103**

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1736 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

स्कीम की शुरूआत अर्थात 11.10.2017 से सौभाग्य के अंतर्गत राज्य-वार संवितरित अनुदान					
					(करोड़ रु. में)
क्रम सं.	**राज्य का नाम**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20 (31.05.2019 तक)**	**कुल**
1.	अरुणाचल प्रदेश	-	139	2	141
2.	असम	42	403	-	445
3.	बिहार	115	199	-	314
4.	छत्तीसगढ़	43	219	-	262
5.	हिमाचल प्रदेश	-	1	3	4
6.	जम्मू और कश्मीर	2	51	-	53
7.	झारखंड	70	83	-	152
8.	केरल	15	-	-	15
9.	मध्य प्रदेश	260	147	-	407
10.	महाराष्ट्र	15	140	7	162
11.	मणिपुर	6	35	-	41
12.	मेघालय	-	98	41	139
13.	मिजोरम	-	35	-	35
14.	नागालैंड	5	34	-	39
15.	ओडिशा	76	168	-	245
16.	राजस्थान	-	103	17	120
17.	त्रिपुरा	-	237	-	237
18.	उत्तर प्रदेश	864	523	-	1,387
19.	उत्तराखंड	13	22	-	36
20.	पश्चिम बंगाल	14	73	20	107
कुल		**1,541**	**2,709**	**91**	**4,340**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1737

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

राष्ट्रीय पावर ग्रिड हेतु साइबर सुरक्षा

1737. श्री संजय राउतः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के राष्ट्रीय पावर ग्रिड की बहुत सारी सम्पत्तियां साइबर हमलों के लिए अधिक संवेदनशील हो सकती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश के सभी पावर ग्रिडों में और अधिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : नेशनल पावर ग्रिड में देशभर में स्थापित बड़ी संख्या में परिसम्पतियां शामिल हैं। नेटवर्क वर्ल्ड की प्रमुख विशेषता परस्पर सबद्धता है और साइबर अवसर एवं जोखिम इसका भाग होते हैं। नेशनल पावरग्रिड में साइबर जोखिमों को समाप्त करने के लिए, विभिन्न उपाय किए गए हैं। पावरग्रिड की पारेषण परिसम्पतियों को सुरक्षित रखने के लिए सब-स्टेशनों के उपस्कर से नियंत्रण केन्द्रों तक संचार बाहरी नेटवर्कों को कनेक्टिविटी रहित पावरग्रिड के स्वामित्व वाले समर्पित ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर किया जाता है। इसके अलावा, इनकी सुरक्षा विविध चारदीवारियों द्वारा की जाती है। इन प्रणालियों को इन्टरनेट कनेक्टिविटी के कारण दुर्भावनाग्रस्त ऑनलाइन हमले से बचाव के लिए कार्यालय नेटवर्कों से अलग रखा जाता है। इसके अलावा, पावरग्रिड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में यथानिर्धारित आईएसओ 27001 सूचना प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित है। इसके अलावा, विद्युत मंत्रालय ने पावरग्रिड में स्थित क्षेत्रीय सीईआरटी-पारेषण का गठन किया है जो इण्डियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेसपोंस टीम (सीईआरटी-इन), नेशनल क्रिटिकल इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेन्टर (एनसीआईआईपीसी), गृह मंत्रालय (एमएचए) और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ निकट समन्वय में कार्य करता है और संरक्षित प्रणालियों, चेतावनी एवं एडवाइजरी, नियमित साइबर लेखापरीक्षा, संकट प्रबंधन योजना (सीएमपी), मॉकड्रिल एवं अभ्यासों के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित करता है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1738

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत विद्युत आपूति

1738. श्री पी. एल. पुनियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आकांक्षी जिला कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत कितने घरों में बिजली के नए कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) उक्त जिलों में कितनी ग्राम पंचायतों में बिजली के कनेक्शन दिए गए हैं;

(ग) कितनी ग्राम पंचायतों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है; और

(घ) उक्त जिलों में सार्वजनिक क्षेत्रों में रोशनी की व्यवस्था के लिए क्या कार्य किए गए हैं; उपलब्धियों सहित इसका विवरण क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य की शुरुआत से 31.03.2019 तक 117 महत्वाकांक्षी जिलों (नीति आयोग द्वारा यथा अभिनिर्धारित) में 68,66,708 घर विद्युतीकृत कर दिए गए थे और 28.04.2018 को देश के सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है।

(घ) : विद्युत समवर्ती सूची का एक विषय है और इसलिए विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना राज्य सरकारों/विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र के दायरे में आता है। सभी राज्यों को मौजूदा राज्य नियमों के अनुसार उनके राज्यों में सार्वजनिक स्थानों जैसे कि आंगनवाड़ी केन्द्रों, स्कूलों, स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों आदि का विद्युतीकरण करने के लिए समय-समय पर एडवाइजरी जारी की गई हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अप्रैल, 2019 से सभी घरों, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने और राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति के लिए भारत सरकार के साथ सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1739

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत की मांग और उत्पादन

1739. डॉ. अमी याज्ञिकः

श्री विजय पाल सिंह तोमरः

श्री राजमणि पटेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत दो वर्षों में देश में विद्युत की खपत में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में विद्युत उत्पादन इसकी मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) केंद्रीय योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा देश में मंजूर की गई नई विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी, हां। देश में विद्युत के उपयोग में विगत दो वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है। देश में आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा 2016-17 के दौरान 1,135,332 मिलियन यूनिट (एमयू) से बढ़कर 2017-18 के दौरान 1,204,697 एमयू तथा आगे 2018-19 के दौरान 1,267,526 एमयू हो गई है।

(ख) : दिनांक 31.10.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 3,64,960 मेगावाट (एमडब्ल्यू) रही है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। चालू वर्ष अर्थात 2019-20 (अक्तूबर, 2019 तक) के दौरान देश की ऊर्जा और व्यस्ततम की दृष्टि से वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है। यह देखा जा सकता है कि ऊर्जा और व्यस्ततम दोनों की दृष्टि से चालू वर्ष अर्थात 2019-20 (अक्तूबर, 2019 तक) के दौरान विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर 1% से कम है। यह अंतर सामान्यतया देश में विद्युत की उपलब्धता के अलावा अन्य घटकों जैसे उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क में बाधाएं, विद्युत खरीद के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटियों की वित्तीय कठिनाइयों आदि के कारण है। दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों के अलावा, विद्युत किसी भी समय पावर एक्सचेंजों से खरीदी जा सकती है।

(ग) : केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित राशि से अधिक अनुमानित योजना लागत वाले जल-विद्युत स्टेशनों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सहमति को छोड़कर विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत का उत्पादन एक लाइसेंसमुक्त कार्यकलाप है। पिछले दो वर्षों के दौरान स्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र की जल-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

चालू वर्ष अर्थात 2019-20 (अक्तूबर, 2019 तक) के दौरान देश की ऊर्जा और व्यस्ततम के संबंध में वास्तविक विद्युत आपूर्ति स्थिति का ब्यौरा

वर्ष	ऊर्जा				व्यस्ततम			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		व्यस्ततम मांग	व्यस्ततम आपूर्ति	पूरी नहीं की गई मांग	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(मेगावाट)	(%)
2019-20 (अक्तूबर, 2019 तक)*	785,488	781,228	4,259	0.5	183,804	182,533	1,271	0.7

**अनंतिम*

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1739 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले दो वर्षों के दौरान संस्वीकृत केंद्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	**परियोजना का नाम**	**कार्यान्वयन एजेंसी**	**क्षमता (मेगावाट)**
1.	तीस्ता-VI	एनएचपीसी	500
2.	दिबांग	एनएचपीसी	2880
3.	किरू	सीवीपीपीएल	624
		कुल	**4004**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1740

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत योजनाओं के नाम में परिवर्तन

1740. श्रीमती छाया वर्माः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2014 के बाद मंत्रालय द्वारा कई योजनाओं का नाम बदला गया है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व में वे योजनाएं किस नाम से संचालित थीं और वर्तमान में उनके क्या-क्या नाम रखे गए हैं;

(ग) योजनाओं के नाम बदलने के कारण क्या हैं; और

(घ) योजनाओं के नाम बदलने से होने वाले फायदों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख): जी, हां । इस संबंध में सूचना नीचे दी गई है : -

क्रम संख्या	**स्कीम का नाम**	**वर्तमान स्कीम का नाम**
1.	राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं उसके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एसडीए का सुदृढ़ीकरण।	भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देने की स्कीम।
2.	मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) पहले	
3.	लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) में ऊर्जा दक्षता	
4.	उपकरणों एवं भवनों के लिए मानक, कोड और लेबलिंग	
5.	ऊर्जा सरंक्षण जागरूकता, पुरस्कार एवं चित्रकला प्रतियोगिता	

(ग) : स्थायी वित्तीय समिति (एसएफसी) द्वारा उपरोक्त पांच स्कीमों को उन्हें 2017 के आगे जारी रखने के लिए मूल्यांकन के दौरान व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श पर विभिन्न स्कीमों का विलय कर दिया गया था। चूकिं सभी पांच स्कीमों का समग्र उद्देश्य देश में ऊर्जा सरंक्षण एवं दक्षता को बढ़ावा देने से संबंधित था, अतः पांच अलग-अलग स्कीमों की जगह एक समेकित स्कीम का प्रस्ताव किया गया था।

(घ) : विभिन्न स्कीमों के एक स्कीम में समेकन के परिणामस्वरूप ऊर्जा सरंक्षण की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास अधिक प्रभावी और लचीली विधि में श्रृंखलाबद्ध हो गए हैं। इसके परिणामस्वरूप सुगम कार्यान्वयन के साथ वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति की बेहतर निगरानी सहित प्रचालन का सरलीकरण भी हुआ। लचीले दृष्टिकोण ने गतिविधियों में आवश्यकता के आधार पर संसाधनों के बेहतर आवंटन को भी समर्थ बनाया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1741

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

'उदय' योजना के अंतर्गत ऋण

1741. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः
चौधरी सुखराम सिंह यादवः
श्रीमती छाया वर्माः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत किन-किन राज्यों ने अपनी सहमति दी और योजना में शामिल राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 'उदय' के तहत कर्ज वहन करने वाले राज्यों के ब्यौरे सहित अब तक उन राज्यों द्वारा वहन की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इस योजना के तहत आए राज्यों पर आर्थिक भार पड़ा है जिसके कारण विद्युत उपभोक्ताओं को अधिक दर पर बिजली का भुगतान करना पड़ रहा है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि 'उदय' के तहत फिर से कर्ज बढ़ रहा है।

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : 26 राज्यों और 07 संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) नामतः आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा व नागर हवेली, दमन व दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख (पूर्ववर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य), झारखण्ड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखण्ड, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) में शामिल हुए हैं।

(ख) और (ग) : विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) का, 30.09.2015 को मौजूद, 75 प्रतिशत ऋण लेने के लिए 16 उदय राज्यों द्वारा जारी किए गए बांडों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। चूंकि, प्रशुल्क को ऋण की लागत जैसे कई प्राचलों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाता है, इसलिए उपभोक्ताओं को राज्यों द्वारा लिए गए ऋणों की वहनीय लागत की सीमा तक प्रशुल्क का लाभ प्राप्त हुआ है। इस प्रकार, राज्यों पर वित्तीय बोझ के कारण उपभोक्ताओं द्वारा अधिक भुगतान करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) : चूंकि, उदय में एकबारगी उपाय के रूप में 30.09.2015 को डिस्कॉमों के मौजूदा ऋण का निर्धारित प्रतिशत राज्यों द्वारा लेने की परिकल्पना की गई थी, इसलिए राज्यों पर इस प्रकार के ऋण की वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1741 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

		आंकड़े करोड़ रुपये में हैं
जारी किए गए उदय बांडों का सार		
क्रम सं.	**राज्य**	**आज की तारीख तक राज्य द्वारा जारी किए गए कुल बांड**
1	राजस्थान	59722
2	उत्तर प्रदेश	39133
3	छत्तीसगढ़	870
4	झारखंड	6136
5	पंजाब	15629
6	बिहार	2332
7	जम्मू और कश्मीर	3538
8	हरियाणा	25951
9	आंध्र प्रदेश	8256
10	मध्य प्रदेश	7360
11	महाराष्ट्र	4960
12	हिमाचल प्रदेश	2891
13	तेलंगाना	8923
14	असम	0
15	तमिलनाडु	22815
16	मेघालय	125
कुल		**208641**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1742

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र के लिए कोयले का आवंटन

1742. श्री अजय प्रताप सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार के पास मध्य प्रदेश के अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र में कोयला आवंटित करने हेतु आवेदन पत्र लंबित है;

(ख) यदि हां, तो लंबित होने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस आवेदन पर निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा तय की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी नहीं।

(ख) : प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : जी नहीं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1743

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

नागालैंड में एकीकृत विद्युत विकास योजना

1743. श्री के. जी. केन्येः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) नागालैंड में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) के प्रारम्भ के समय से इसके अन्तर्गत नागालैंड राज्य को शामिल किए जाने के बाद इस राज्य में विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण में किस सीमा तक सुधार हुआ है; तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) नागालैंड में योजना के अंतर्गत प्रस्तावित और पूर्ण किए गए कार्यों/परियोजनाओं का जिला-वार ब्यौरा और विभिन्न शहरों में पूर्ण किए गए कार्य के प्रतिशत के साथ-साथ आईपीडीएस के अंतर्गत आवंटित राशि और उन्हें किस योजना के लिए आवंटित किया गया है का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत पहले ही जारी की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में विद्युत उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क के संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पूंजीगत व्यय के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिसंबर, 2014 में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) शुरू की थी। आईपीडीएस उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं का वित्तपोषण नहीं करती है।

आईपीडीएस के अंतर्गत परियोजनाएं सर्किल-वार स्वीकृत की जाती हैं। आईपीडीएस के अंतर्गत, नागालैंड राज्य के लिए स्वीकृत प्रमुख कार्यों, आबंटित और जारी की गई निधि तथा प्रगति का ब्यौरा **अनुबंध** पर दिया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1743 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

आईपीडीएस के अंतर्गत, नागालैंड सर्किल में वितरण तंत्र के सुदृढ़ीकरण कार्यों की प्रगति के ब्यौरे

सर्किल	संस्वीकृत (करोड़ रु.)	संवितरण (करोड़ रु.)	वास्तविक प्रगति	प्रस्तावित मुख्य कार्य			पूरे किए गए मुख्य कार्य	
				नए सब-स्टेशन (सं.)	नई लाइनें (कि.मी.)	नए वितरण ट्रांसफार्मर (सं.)	नई लाइनें (कि.मी.)	नए वितरण ट्रांसफार्मर (सं.)
नागालैंड राज्य सर्किल	119.54	29.36	51.13%	1	133	121	18	38

आईपीडीएस के अंतर्गत अन्य कार्यों का ब्यौरा

i. 03 नगरों के लिए 2.3 करोड़ रुपये कीमत की सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिसके लिए 0.196 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

ii. 16.15 करोड़ रुपये कीमत की उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जिनके लिए 1.37 करोड़ रुपये संवितरित किए गए हैं।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1744

जिसका उत्तर 03 दिसम्बर, 2019 को दिया जाना है ।

बिजली खपत की मांग में गिरावट

1744. श्रीमती वानसुक साइमः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में वर्ष-दर-वर्ष विद्युत उत्पादन में 12.7 फीसदी की गिरावट आई है और यह अक्टूबर में लगातार तीसरा माह था जबकि विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष इसी माह की तुलना में कमतर था;

(ख) क्या सरकार मांग में गिरावट के लिए इस वर्ष के विस्तारित मानसून को जिम्मेदार ठहराना चाहेगी क्योंकि बिजली संचित नहीं की जा सकती और उत्पादन ही उपभोग की प्रवृति का सर्वाधिक सशक्त संकेतक है; और

(ग) क्या कोयला संयंत्रों के पर्याप्त मांग और कोयला आपूर्ति संबंधी मुद्दों के दबाव में होने के कारण 51.1 प्रतिशत कोयला संयंत्रों की संयंत्र भार क्षमता के सर्वाधिक कम होने की वजह से भी अक्तूबर में विद्युत उत्पादन कम हो सकता है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : जी, हां। तीन माह अर्थात अगस्त से अक्तूबर, 2019 के दौरान विद्युत उत्पादन में वृद्धि का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। विद्युत उत्पादन अगस्त, 2018 की तुलना में अगस्त, 2019 में 0.4% अधिक था। सितम्बर, 2019 और अक्तूबर, 2019 में पिछले वर्ष के इन्हीं महीनों की तुलना में विद्युत उत्पादन क्रमशः लगभग 2.9% एवं 12.88% कम था। कम उत्पादन मुख्य रूप से लम्बे मानसून मौसम और अच्छी बरसात के कारण अनुकूल मौसम परिस्थितियों के कारण था जिनके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में मांग की कमी और घरेलू एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में कूलिंग मांग में कमी हुई।

चालू वर्ष 2019-20 (अक्तूबर, 2019 तक) के दौरान, जल विद्युत में 16% वृद्धि हुई और भूटान से आयात की गई जल विद्युत में लगभग 22% वृद्धि हुई। न्यूक्लियर विद्युत संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में 27% और सौर संयंत्रों से विद्युत उत्पादन में 24% की वृद्धि भी हुई है। हरित ऊर्जा अर्थात गैर-जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन की भागीदारी लगभग 27.3% रही है। इस प्रकार समग्र विद्युत उत्पादन में कमी ताप विद्युत उत्पादन के कम संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) के कारण नहीं हुई थी, अपितु हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के उद्देश्य से ऊर्जा मिश्र में बदलाव करने में समर्थ हुए हैं।

****

<u>अनुबंध</u>

राज्य सभा में दिनांक 03.12.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1744 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

अगस्त से अक्तूबर, 2019 के दौरान उत्पादन का निष्पादन

अवधि	**2019-20 के दौरान उत्पादन (एमयू)**	**2018-19 के दौरान उत्पादन (एमयू)**	**वृद्धि (%)**
अगस्त	106,200	105,793	0.39
सितम्बर	105,195	108,328	-2.89
अक्तूबर	98,887	113,507	-12.88
अप्रैल-अक्तूबर	**757,946**	**749,314**	**1.15**

****